

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

12-1-81

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 1981/माघ 8, 1902
No 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 1981/MAGHA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्र संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधीक्षक

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1981

का. आ. 69(अ) :—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रेल (भाडागारण और स्थान-शल्क) नियम, 1958 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) ये नियम रेल (भाडागारण और स्थान-शल्क) (तृतीय संशोधन) नियम, 1981 कहलाएंगे ।

(2) ये 15 फरवरी, 1981 से प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल (भांडागारण और स्थान-शुल्क) नियम, 1958 के नियम 6 की तालिका में :—

- (1) कालाम 3 के अन्तर्गत मद (4) के सामने शब्द और अंक "75 रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "120 रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (2) कालाम 3 के अन्तर्गत मद (1) के सामने शब्द और अंक "75 रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "120 रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. टी. सी.-1/80/201/8]

के. बालचन्द्रन, सचिव,
रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 1981

S.O. 69(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railways (Warehousing and Wharfage) (Third Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force with effect from 15th February, 1981.

2. In the table to rule 6 of the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958 :—

- (i) against item (iv) under column 3, for the word and figures "Rupees 75", the word and figures "Rupees 120" shall be substituted;
- (ii) against item (v) under column 3, for the word and figures "Rupees 75" the word and figures "Rupees 120" shall be substituted.

[No. TCI/80/201/8]

K. BALACHANDRAN, Secy. Railway Board and Ex-officio Jt. Secy.
to Govt. of India